महत्वपूर्ण एवं खास

अमानत में खयानत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

आरोपी परिचित से स्कुटी मांगकर दूसरे व्यक्ति से 20,000 रूपये में किया सौदा

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 05/08/2021 को अमानत में खयानत करने वाले आरोपी ललित राजपूत को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अपने परिचित की स्कूटी एक घंटे के लिये मांगकर ले गया था जिसे अन्य व्यक्ति के पास बेचकर उल्टे स्कुटी के स्वामी से गाली गलौच कर रहा था। रिपोर्टकर्ता रितेश कुमार कटारा पिता स्व. रमेश कुमार कटारा उम्र 28 वर्ष निवासी सिंधी कलोनी, बेलादुला रोड, रायगढ़ बताया कि इसका परिचित ललित राजपूत पिता स्व. मोहनलाल राजपूत, उम्र 42 वर्ष दिनांक 22/07/2021 को सुबह 11 बजे घर आया और जरूरी काम है कहकर एक्टिवा को मांगकर ले गया। ललित एक घण्टे में आ जाना बताया था। काफी समय बाद ललित वापस नहीं आने पर उसके मोबाइल में कॉल कर पूछा तो चांपा में हूं बोला कुछ समय और लगेगा। अगले दिन फोन करने पर ललित अपनी बहन के घर झारसुगुड़ा चला गया हूं बताया। दिनांक 24/07/2021 को फिर से ललित के मोबाईल नंबर पर कॉल करने पर ललित गाड़ी वापस करने से इंकार कर दिया और गाड़ी को 20,000/- रू में बेचने का सौदा कर दिया हूं कहकर गाली-गलौज करने लगा। रितेश कटारा की लिखित शिकायत पर आज आरोपी ललित राजपूत पिता स्व. मोहनलाल राजपूत, उम्र 42 वर्ष निवासी सिंधी कलोनी, बेलादुला रोड थाना चक्रधरनगर रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 448/2021 धारा 406 आईपीसी का अपराध दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार रिमांड पर भेजा गया है।

स्कूलों में आवश्यकतानुसार होगी शिक्षकों की पदस्थापना

रायपुर (आरएनएस)। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक संवर्ग के 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सभी स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापना संबंधी समस्त आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूर्ण कर आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से नियुक्ति आदेश जारी करते समय यह पालन सुनिश्चित करने कहा गया है कि सर्वप्रथम शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय स्कूलों में उम्मीदवारों की पदस्थापना करने कहा गया है। निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग और महिलाओं को पदरिक्तता के आधार पर यथासंभव सुविधाजनक स्थान के स्कूल में पदस्थ करें। नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी किए जाए। नियुक्ति आदेश में राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन एवं परिवीक्षा अवधि का वित्त विभाग का निर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। पदस्थापना में ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं को प्राथमिकता दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायलयीन प्रकरणों में पद रोकने के लिए अथवा प्रक्रिया में स्थगन के निर्देश दिए गए हैं, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों ने व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार प्रदान की थी।

रायगढ़ जिले का होगा अपना क्लोथिंग ब्रांड, टेक्सटाइल यूनिट स्थापना का चल रहा काम

» कलेक्टर सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया निरीक्षण

» जिले के उद्योगों के साथ स्थानीय मांग अनुसार होगी आपूर्ति

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने टेक्सटाइल यूनिट में कार्य हेतु सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं एवं छात्राओं से चर्चा की। कलेक्टर सिंह ने प्रशिक्षणरत छात्राओं एवं महिलाओं को जल्द ट्रेनिंग पूर्ण कर कार्य में दक्षता लाने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर के औद्योगिक संस्थानों में सिले कपड़ो की मांग है। जिसकी पूर्ति वे अन्य राज्यों से कर रहे है। उनकी मांग को हमें स्थानीय स्तर पूरी करना है, जिससे आपको रोजगार भी मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल यूनिट से तैयार कपड़ों का अपना ब्रांड होगा। इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग की भी व्यवस्था होगी।

कलेक्टर सिंह ने महिला प्रशिक्षण संस्थान में संचालित प्रशिक्षण संस्थान को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लाईवलीहुड कालेज में स्थानांतरित करने की बात कही। जिस पर छात्राओं ने दूरी की समस्या बतायी। इस पर कलेक्टर सिंह ने छात्राओं को कहा कि आपके आने-जाने के लिए बस सुविधा प्रदान की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्थित जर्जर वर्कशॉप के मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध कराने की बात कही। ताकि टेक्सटाईल्स सेंटर को आगामी समय में लाईवलीहुड की जगह आईटीआई में है स्थापित किया जा सके। इस मौके पर छात्राओं ने ट्रेनिंग के दौरान अपने द्वारा सिले कपड़ों को कलेक्टर सिंह को दिखाया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर जिले में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्सटाईल यूनिट की स्थापना की जा रही है। जिससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक कर्मचारियों के यूनिफार्म, स्कूली बच्चों व पुलिस के यूनिफार्म, मेडिकल व किचन एपरन तैयार किये जायेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी 30 महिलाओं को आईटीआई में प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्तमान में प्रोडक्शन यूनिट का सेटअप लाइवलीहुड कालेज में लगाया जा रहा है। साथ ही मशीनरी व रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया जारी है।

कोसीर के ग्राम डंगनिया में मिले अज्ञात शव की जांच पर हत्या का अपराध दर्ज

» अपचारी बालक ने जमीन विवाद पर हत्या करना किया स्वीकार

रायगढ़। कोसीर पुलिस दिनांक 02/08/2021 को ग्राम डंगनिया व सिलाडीह रोड पर खेत में मिले अज्ञात पुरूष के शव की शिनाख्त कर पीएम रिपोर्ट पर हत्या का अपराध दर्ज कर विधि उल्लंघनकारी बालक को आज किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। अपचारी बालक द्वारा जमीन विवाद में हत्या करना बताया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 02/08/2021 को ग्राम डंगनिया व सिलाडीह रोड में उवत राम के खेत पर अज्ञात पुरूष का शव मिला। कोसीर पुलिस मौका निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेकर शव पंचनामा कर शव का पी0 एम0 कराया गया। जांच दौरान मृतक की पहचान संजय बर्मन पिता स्व. महादेव बर्मन 35 साल निवासी ग्राम डंगनिया के रूप में हुआ। पीएम रिपोर्ट पर संजय बर्मन (मृतक) की गला घोंट कर हत्या करने कि पुष्टि हुई तथा जांच दौरान पाया गया कि संजय बर्मन का गांव के ×45 (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष के परिवार के बीच में जमीन का विवाद है , जिस पर संदेही को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें उसने हत्या का अपराध कबूल किया है।

विधि उल्लंघनकारी बालक ने बताया घटना दिनांक 30.07.2021 को शाम करीब 07:00 बजे मृतक संजय बर्मन दिशा मैदान के लिये निकला था उसी दौरान उसका पीछा कर पुराने जमीन विवाद पर हथियार चाकू, डण्डा और गमछा लेकर गया। डंडा से मारपीट कर एवं गमछा से गला घोटकर हत्या किया। घटना के संबंध में विधि उल्लंघनकारी बालक को आज कोसीर पुलिस द्वारा किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया है।

महिला से छेड़खानी मामले में अधेड़ गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 05/08/2021 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा घर घुसकर महिला से छेड़खानी के मामले में अधेड़ उम्र के आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार आज दिनांक 05/08/2021 को थाना घरघोड़ा में एक महिला आकर नावापारा वार्ड क्र. 08 घरघोडा के मोहित पैंकरा द्वारा आज सुबह घर घुसकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला बताई कि सुबह करीब 08.30 बजे जब अपने घर में अकेली थी। उस समय मोहित पैंकरा घर घुसकर बेइज्जती करने की नियत से हाथ बांह को पकडकर छेड़खानी करने लगा, विरोध करने पर गला दबाकर मारने की धमकी दिया। तब अपना बचाव कर जोर- जोर से चिल्लाई तो घर के लोग आये और मोहित को पकड़ लिये। तब मोहित अपने को छुडाते हुए भाग गया। पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 242/2021 धारा 452, 354, 354(क), 323 आईपीसी दर्ज कर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह के निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा द्वारा स्टाफ के साथ आरोपी की पतासाजी कर आरोपी मोहित राम पैंकरा पिता स्व. अघन साय पैंकरा उम्र 59 साल निवासी वार्ड नं0 08 नवापारा घरघोडा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

महिला की विडियो वायरल करने की धमकी दे रहा युवक गया जेल

रायगढ़। दिनांक 05/08/2021 को बरमकेला पुलिस स्त्री की लज्जा भंग, छेड़खानी के आरोप में ग्राम थानाक्षेत्र के एक युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी युवक उसके परिचित महिला का नहाते समय लुकछिप कर विडियो बना लिया था जिसे वायरल करने की धमकी दे रहा था।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की ओर से उसके पति द्वारा दिनांक 04/08/2021 को थाना बरमकेला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 31-07-2021 को मोबाइल नम्बर 626866××××× का धारक द्वारा कॉल कर इसकी पत्नी से उल्टी-सीधी बातें किया, जिसके बाद उस नम्बर से आ रहे कॉल को रिसीव नहीं किये। तब उस नम्बर दिनांक 03-08-2021 को व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया। अज्ञात युवक द्वारा चैट कर वीडियो इंटरनेट में अपलोड करने की धमकी दिये जाने पर थाना बरमकेला में रिपोर्ट दर्ज कराये। आरोपी युवक के विरूद्ध अप.क्र. 245/2021 धारा 354,509(ख) आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बरमकेला पुलिस द्वारा सायबर सेल से उस मोबाइल नम्बर की डिटेल निकलवाये थाना प्रभारी के निर्देशन पर सहायक उपनिरीक्षक कमल राजपूत द्वारा शीघ्र आरोपी की तलाश कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।

आरोपी गंगा दास उम्र 25 साल निवासी बरमकेला अपना अपराध कबूल कर बताया कि महिला को जानता पहचनता है। महिला के कार्यस्थल से पीछा कर उसके घर के पास छिपकर विडियो बनाया था। आरोपी को उसके कृत्य पर अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, जहां से आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है।

महतारी दुलार योजना के लाभान्वित 370 बच्चों के बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थिति व प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में ब्लॉकवार लगेंगे शिविर

रायगढ़ । कोरोना काल में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए चलाए जा रहे महतारी दुलार योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में 370 तथा जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लाभान्वित 50 बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी दुलार योजना के जरिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था प्रदाय की जानी है। जिले में 179 शासकीय स्कूलों तथा 191 अशासकीय स्कूलों सहित विभिन्न विकास खंडों के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में महतारी दुलार योजना अंतर्गत बच्चे दाखिला लेकर अध्ययनरत हैं।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों को या माता-पिता में से एक को या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खोने वाले बच्चों के समस्त संरक्षण एवं देखरेख के लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना है। कलेक्टर भीम सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को आदेश जारी कर इन्हीं बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने हेतु आदेशित किया है। यदि किसी बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर उसके माता-पिता के कोरोना वायरस की जानकारी दी जाएगी तो उनका नाम भी जोड़ा जाना है। इसी कवायद में विकास खंडों में तिथिवार प्रकरणों का निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति की बैठक आहूत की गई है। जिसमें जिला बाल संरक्षण समिति इकाई के अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

इन तिथियों में होगी विकासखंड वार बैठक- 6 अगस्त को पुसौर व 11 अगस्त को सारंगढ़ विकासखंड में बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रभारी अधिकारी जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह 6 अगस्त को बरमकेला व 10 अगस्त को लैलूंगा में प्रभारी अधिकारी प्रकाश कुमार ठाकुर संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत की देखरेख में बैठक होगी। दिनांक 7 अगस्त घरघोड़ा व 10 अगस्त धर्मजयगढ़ में प्रभारी अधिकारी जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय परिवीक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 7 अगस्त खरसिया व 11 अगस्त तमनार के प्रभारी अधिकारी प्रकाश कुमार ठाकुर संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत की देखरेख में बैठक आयोजित होगी।

विकासखंड वार यह है बच्चों की संख्या- रायगढ़ 90, पुसौर 36, बरमकेला 69, घरघोड़ा 12, खरसिया 47, लैलूंगा 17, धरमजयगढ़ 17, सारंगढ़ 65, तमनार 17 कुल 370 बच्चे है।

पड़ोसी के घर आलमारी से 50 हजार की चोरी, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा नकबजनी के अप.क्र. 377/2021 धारा 454,380 आईपीसी के आरोपी गौतम साव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अपने पड़ोसी के घर के आलमारी से 50,000 रूपये की चोरी कर फरार था।

घटना के संबंध में दिनांक 01/07/2021 को श्रीमती सत्यवती पटेल पति नरेश पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी बालसमुन्द्र पहाड़ मंदिर रायगढ़ रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 28-6-21 के सुबह 8 बजे इसका पति घर पर टीव्ही देख रहा था, ये अपनी मां के घर पडोस मे गई थी। उसी समय पडोसी गौतम साव और गजानन सोहरा इनके घर आकर टीव्ही देख रहे थे। उसी दिन बैंक में पैसा जमा करने के लिये अलमारी में रखे पर्स को देखी तो पर्स था किंतु उसमें रखा हुआ 50,000 रूपये पैसा नही था, शंका पर गौतम साव से पूछे तो बोला कि रूपये नहीं निकाला हूं। गजान्न सोहरा से पूछने पर बताया कि जब नरेश पटेल थोडी देर के लिये बाथरूम गया तो गौतम साव अलमारी में से पैसे निकाल कर भाग गया। चोरी के रिपोर्ट बाद से गौतम फरार था, जिसे आज मुखबिर सूचना पर पकड़ा गया है। आरोपी द्वारा चोरी स्वीकार कर आधे रूपये नरेश पटेल को लौटा देना, कुछ खर्च हो जाना बताया है जिससे 1500 नकद रूपये बरामद किया गया है। आरोपी को नकबजनी के दर्ज अपराध में अज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

मौहापाली सूने मकान में चोरी कर फरार हुआ एक और आरोपी गिरफ्तार

» आरोपी से कम्प्यूटर सेट बरामद, चौकी खरसिया की कार्रवाई

रायगढ़। दिनांक 03-04/08/2021 के दरम्यानी रात खरसिया अन्तर्गत मौहापाली सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी कृष्णा कुमार सोनवानी पिता छोटकू लाल उम्र 28 साल निवासी मौहापाली को लगभग 12 घंटे के भीतर पता तलाश कर चौकी खरसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिससे तीन नग सिलेंडर की जप्ती कर आरोपी को कल दिनांक 04/08/2021 को अप.क्र. 472/2021 धारा 457, 380 में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।

आरोपी कृष्णा कुमार सोनवानी द्वारा खरसिया पुलिस को मेमोरेंडम कथन पर अपने साथी अर्जुन राजपूत, लाला राजपूत, नीले, बसंत एवं अर्जुन राजपूत का दोस्त के साथ चोरी करना बताया था। चौकी प्रभारी नंद किशोर गौतम चौकी के आरक्षक सोहन यादव, कीर्ति सिदार, साविल चन्द्रा के साथ लगातार मुखबिर सूचना पर दबिश दिया जा कि आज दिनांक 05/08/2021 को रजघटा में आरोपी नीले को देखे जाने की सूचना पर चौकी प्रभारी स्टाफ के सादी वर्दी में आसपास इलाके की घेराबंदी कर ओवरब्रिज के पास आरोपी नीलेश उर्फ नीले डेंजारे पिता हेतराम डेंजारे 21 साल मौहापाली थाना खरसिया को धर दबोचे। आरोपी के मेमोरेंडम कथन पर एक कम्प्यूटर मॉनिटर एवं एक यूपीएस बरामद किया गया है। आरोपी को शीघ्र न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावेगा। आरोपी के फरार आरोपियों की पतासाजी जारी है।

गोठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट का समितियों में करवाएं भण्डारण-कलेक्टर भीम सिंह

» धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन करें पूरा

» मौसमी बीमारियों के मद्देनजर पशुधन के उपचार और टीकाकरण के समुचित व्यवस्था के दिए निर्देश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उद्यान एवं रेशम विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सिंह ने बैठक में अधिकारियों से गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जिले के सक्रिय गोठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गोठानों में कम्पोस्ट उत्पादन के दौरान कम्पोस्ट की गुणवत्ता और कन्वर्शन रेशिओ का विशेष ध्यान रखा जाये। जिन गोठानों में कम्पोस्ट तैयार है वहां से जल्द उठाव करवा कर सहकारी समितियों में भण्डारण करवाने के निर्देश उन्होंने दिए। जिससे कि किसानों को कम्पोस्ट का विक्रय किया जा सके। साथ ही खरीदे जा रहे गोबर से कम्पोस्ट बनाने हेतु गोठानों में वर्मी पिट खाली हो। उन्होंने कहा कि यह कृषि कार्यो के लिहाज से पीक समय है ऐसे में कम्पोस्ट निर्माण के साथ पैकेजिंग के लिए सभी गोठानों में पर्याप्त मात्रा में बैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने उपसंचालक कृषि भगत को दिए। साथ ही साथ ही सभी विकास खंडस्तरीय कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तैयार कम्पोस्ट का भण्डारण समितियों में करवाएं और कहीं भी पैकेजिंग के लिए बैग की कमी हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करें, ताकि अविलम्ब समुचित व्यवस्था की जा सके।

कलेक्टर सिंह में बैठक के दौरान गोठान में कार्यरत महिला समूहों के कामकाज की भी समीक्षा की और जो सही समूह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उसे बदलने के लिए निर्देशित किया। बारिश के मद्देनजर उन्होंने गोबर खरीदी कम्पोस्ट निर्माण के लिए जरुरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिन गोठानों में स्थायी शेड निर्माण अपूर्ण हैं या नही हो पाए हैं वहां अस्थायी शेड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक गोठान का जिलास्तरीय अधिकारियों से वेरिफिकेशन करवाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में किसानों द्वारा धान के बदले अन्य फसल लगाने हेतु सहमति के आधार पर बोआई की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकासखंडों के वरिष्ट कृषि अधिकारियों से लक्ष्य के अनुसार किसानों के द्वारा लगाए गए फसल की जानकारी ली। जिन विकासखंडों में कार्य धीमी गति से चल रहा है वहां काम में तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए। बैठक में उन्होंने इन सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी किसानों की विस्तृत जानकारी संधारित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने जिले में विकासखंडवार बारिश की जानकारी ली। उन्होंने जिन स्थानों पर कम बारिश हुयी इसके साथ कितने ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा फसल बीमा करवाया गया है, इसकी भी जानकारी ली।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480